मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना

मुख्य नियम

जैन श्वेताम्बर तेरापंथ महासभा द्वारा संचालित मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना के मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं–

1. धर्म संघ के प्रत्येक परिवार का देश–विदेश में प्रवासित सदस्य इस परियोजना में पंजीकरण करा सकता है।
2. बोर्ड या इसके समकक्ष कक्षा दसवीं व बारहवीं (10 व 10+2) की शिक्षा में संबंधित वर्ष में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्र/छात्रा मेधावी परियोजना में आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में वर्ष 2008 में उत्तीर्ण होने वाले आवेदन के पात्र रहेंगे।
3. कुल अंकों में से न्युनतम 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने वाले छात्र/छात्रा ही इस परियोजना में सम्मलित हो सकते हैं।
4. परियोजना में पंजीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र भर कर देहली कार्यालय को प्रेषित करें।
5. परियोजना में छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान भी रखा गया है, इस हेतु मूल आवेदन पत्र के साथ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भर कर भेजें। छात्रवृत्ति हेतु स्थानीय सभा के अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक है।
6. आवेदन–पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्र, अंक तालिका की प्रतियां संलग्न की जाये।
7. आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष एक जून से 30 जून तक प्राप्त किये जाते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस वर्ष यह तिथि 30.6.08 है।
8. परियोजना आवेदन पत्र व छात्रवृत्ति आवेदन पत्र स्थानीय तेरापंथ सभा के अध्यक्ष के पास उपलब्ध हैं। इन्हें महासभा की साईट www.terapanthinfo.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
9. सर्वोच्च स्थान प्राप्तकर्ता मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष पदक व विषय में शत–प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता को आचार्य प्रवर के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है।
10. समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

11. आवेदन पत्र प्रेषित करें–

सदस्य सचिव
मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना
अणुव्रत भवन, प्रथम तल
210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली–110002
फोन–46605500, फैक्स–41619691
मेबाईल–9999981521, 9873355763